

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज- दिनांक- जुलाई 17, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 158 वाहनों का चालान व 06 वाहनों से 5000/ रु0 शमन शुल्क वसूला गया।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर ***मास्क न लगाने वाले कुल- 01 व्यक्तियों से 1000/- रुपये शमन शुल्क वसूला गया।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 37 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

***पैदल गश्त अभियान*-** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 11 व 110जी जा0फौ0 में 19 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

***आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

***थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्तगण 1.शकुन्तला पत्नी रामसागर नि0 भारी भैसी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-179/21 धारा 60(1) आबकारी 2. दीपक पुत्र लालचन्द नि0 कम्हरिया खुर्द थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-180/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त राजकुमार साहनी पुत्र रामहरख नि0 हरिहरपुर थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 12 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-75/21 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त नरेश पुत्र श्यामनरायन नि0 जगरवाधपुर थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-112/21 धारा-60/63 आबकारी 2. गोविन्द भारती पुत्र सुदामा नि0 कोहरगड्डी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-111/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त अनिरुद्ध पुत्र घनश्याम चौधरी नि0 कस्बा घुघली थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-157/21 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 16/17-07-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 42 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।